

डिक्री बमूकदमें इब्तादाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी - अभिलाषा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 207/2023

वादी

1. अणची देवी पत्नि गोरधनदास जाति साद निवासी नराधना तहसील जायल, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छोटुदास पुत्र गोरधनदास जाति साद निवासी नराधना तहसील जायल जिला नागौर
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादी की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादीनी अणचीदेवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नराधना के खेत खसरा नम्बर 561 रकबा 1.2788 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 छोटुदास के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त वादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

3. उक्त खसरान के बैंक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर -
फ्रीस सैदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर
अदावत के आज दिनांक 03/10/2024 को जारी किया गया



(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल